

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक — /ओबरा/33 दिनांक, 7-12-2020.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- 400 कॅवो अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में विभिन्न वन प्रभाग में प्रभावित कुल 319.28 हे० वन भूमि का लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/32650/2018)

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक-3069/ओबरा/33 दिनांक-04.06.2020, मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-343 /11-सी दिनांक-14.08.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-1200/मी०क्ष०/33 दिनांक-24.09.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-3069/ओबरा/33 दिनांक- 04.06.2020 द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग एवं मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि का प्रस्ताव आन लाईन डाटा इन्ट्री करने के उपरान्त चार-चार प्रतियों में संलग्न कर आपके कार्यालय में प्रेषित किया था, तत्कम आपके कार्यालय का पत्रांक-5465/मी०क्ष०/ दिनांक-18.06.2020 द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण किया गया, पुनः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-343/11-सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में आपके कार्यालय का पत्रांक-1200 /मी०क्ष०/33 दिनांक-24.09.2020 द्वारा प्रमाण पत्र की माग की गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-1091/ओबरा/33 दिनांक-27.10.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, एस-14/74ए-2 अन्धरा का पुल, वाराणसी से अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, एस-14/74ए-2 अन्धरा का पुल, वाराणसी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों से हस्ताक्षरोपरान्त, अपने कार्यालय के पत्रांक-1676/वि०प्रे०खं (गा)/दिनांक-28.11.2020 के साथ प्रमाण पत्र की पांच प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-343/11-सी दिनांक-14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या-1467 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, एस-14/74ए-2 अन्धरा का पुल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. गाजीपुर) को भारत सरकार के पत्र संख्या- 08-197/91-एफ.सी. दिनांक-01.11.1993 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी आई. 444/14-2-93-707/89 दिनांक- 08/23 फरवरी 1994 द्वारा 400 कै.वी. अनपरा-वाराणसी विद्युत लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वनभूमि (मिर्जापुर 37.51 हे०, कैमूर वन प्रभाग मिर्जापुर 54.652 हे०, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79 हे०, ओबरा वन प्रभाग 113.048 हे०, रेणुकूट वन प्रभाग 98.28 हे०) 20 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधिदिनांक-22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त विद्युत लाइन के लीज नवीनीकरण (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/32650/2018) वन संरक्षण अधिनियम/1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांती परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों, निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर-


प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन प्रभाग
कैमूर


प्रभागीय वनाधिकारी
(एम०पी० सिंह)
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
राबर्टसगंज

हस्ताक्षर-


(एस० के० सिंह)
अधिसूक्त अधिकारी
अधिसूक्त अधिकारी
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
गाजीपुर


प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन प्रभाग
कैमूर


प्रभागीय वनाधिकारी
मिर्जापुर-वन प्रभाग
मिर्जापुर

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक